राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, पटना - 800 006

आवेदन की अंतिम तिथि 31-08-2011

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा - 2012
एवं
राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा - 2012

परीक्षा की तिथि 20-11-2011

प्रेस विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या - 2

शैक्षिक सत्र 2011-12 में राज्य के विद्यालयों में कक्षा VIII में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा - 2012 और राष्ट्रीय आय - सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा - 2012 के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नवत हैं :-

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा - 2012

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰, नई दिल्ली की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना और उनकी प्रतिभा को पोषित करना है। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा- IX से बेसिक साईंस, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों के लिए पी॰ एच॰ डी॰ स्तर के साथ-साथ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे-इंजिनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन एवं विधि की स्नातकोत्तर तक की शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दर रू॰500/- (पाँच सौ रूपये) प्रतिमाह है।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन देने की अहर्त्ता

1. बिहार सरकार/सी॰ बी॰ एस॰ ई॰/ आई॰ सी॰ एस॰ ई॰ द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्ष 2011-12 में कक्षा VIII में नियमित रूप से पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं।
2. जिस विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है उसे बिहार राज्य में अवस्थित होना आवश्यक है।
3. अधिवासी (Domicile) का कोई प्रतिबंध नहीं है।
4. इस के लिए कोई आयु या आय सीमा निर्धारित नहीं है।

चयन प्रक्रिया - चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा ।

लिखित परीक्षा दो स्तर की है।

प्रारंभिक परीक्षा - राज्य स्तर पर (इसका आयोजन SCERT करता है।)
मुख्य परीक्षा - राष्ट्र स्तर पर (इसका आयोजन NCERT करता है।)

प्रारंभिक परीक्षा के सफल विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मुख्य परीक्षा में सफल छात्रों को छात्रवृति हेतु चयन किया जाएगा।

छात्रवृत्ति की संख्या :- राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृति की संख्या 1000है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए वर्ष 2012 में बिहार राज्य का कोटा 178 है।

आरक्षण :- इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आरक्षण का प्रावधान निम्नवत है :-
(1) अनुसूचित जाति - 15 %, (2) अनुसूचित जनजाति - 7.5 %, (3) नि:शक्त - 3%

परीक्षा शुल्क :- इस परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा - 2012

राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परन्तु मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए ''राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना'' (National Means - cum - Merit Scholarship Scheme) प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा IX से कक्षा XII तक की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 6000/- रुपये की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन देने की अहर्त्ता

1. आवेदक शैक्षिक सत्र 2010-11 में राज्य के केवल राजकीय / राजकीयकृत / राज्य सरकार / भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय (जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय छोड़ कर) / मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों / मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में पढ़ते हुए 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंकों के साथ कक्षा VII की परीक्षा उत्तीर्ण हों और वर्तमान शैक्षिक सत्र 2011-2012 में ऊपर अंकित किसी भी प्रकार के विद्यालय में कक्षा VIII में नामांकित होकर विधिवत अध्ययनरत हों।
2. जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं नि:शक्त छात्र/छात्राओं के लिए उत्तीर्णांक में 5 (पाँच) प्रतिशत की छूट होगी।

चयन प्रक्रिया :- इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अहर्त्ता प्राप्त छात्र/छात्राओं का चयन SCERT के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाएगा। NMMSS की परीक्षा एवं NTSE की प्रारंभिक परीक्षा संयुक्त रूप से एक साथ आयोजित होगी।

छात्रवृत्ति की संख्या :- सम्पूर्ण भारत वर्ष में 1 (एक) लाख छात्र/छात्राओं को छात्रवृति दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य का कोटा है। कोटा के अनुसार बिहार राज्य का अंश 5433 हैं। राज्य के आवंटित कोटा से प्रत्येक जिला का कोटा एक सूत्र के अनुसार निर्धारित है।।

आरक्षण :- इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण नियमावली के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा।

परीक्षा शुल्क :- इस परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

NTSE की प्रारम्भिक परीक्षा एवं NMMSS की चयन परीक्षा संयुक्त रूप से आयोजित होगी जिसका स्वरूप निम्नवत है:-

विषय	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि		परीक्षा में उत्तीर्णता का अहर्त्तांक	
			सामान्य के लिए	नि:शक्त के लिए	सामान्य के लिए	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/नि:शक्त के लिए
मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)	90	90	90 मिनट	120 मिनट	36 (40%)	29 (32%)
शैक्षिक योग्यता परीक्षा (SAT)	90	90	90 मिनट	120 मिनट	36 (40%)	29 (32%)

मानसिक योग्यता परीक्षा के अन्तर्गत तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण से संबंधित शाब्दिक, अशाब्दिक प्रश्न एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय से प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 (एक) अंक का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रणाली के अंतर्गत 4 (चार) विकल्प वाले होंगे। परीक्षा एक ही पाली में आयोजित होगी। प्रश्न-पत्र हिन्दी / अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। परीक्षार्थियों को अपना उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है जिसकी विधि थोड़ी भिन्न, है एवं इसका मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने की विधा से अवगत हो लेंगे।

नि:शक्तता प्रमाण-पत्र :- नि:शक्त आवेदकों के लिए नि:शक्तता से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राप्त नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जाति-प्रमाण-पत्र :- आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी) से प्राप्त जाति-प्रमाण-पत्र की छाया प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आय-प्रमाण-पत्र :- आवेदन-पत्र के साथ सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/मुखिया/ सरपंच) से प्राप्त आय-प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करना केवल राष्ट्रीय आय-सह-मेध I छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य होगा।

परीक्षा केन्द्र :- परीक्षा केन्द्र सभी जिला मुख्यालयों में होगा।

आवेदन-पत्र कैसे प्राप्त करें :- मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट **www.educationbihar.in** से आवेदन-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन-पत्र जमा करने का स्थान एवं अन्तिम तिथि :- सभी परीक्षार्थी अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र अपने-अपने विद्यालय में दिनांक 31-08-2011 तक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्राचार्य के कार्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय प्रधान सभी आवेदन-पत्रों को समेकित कर पूर्ण विवरणी के साथ सूची बना कर दिनांक 02-09-11 तक निश्चित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे। प्रधानाध्यापक आवेदन-पत्रों के समेकित सूची की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा उनका यह भी दायित्व होगा कि वे आश्वस्त हो लें कि आवेदक सभी निर्धारित अहर्त्ता पूरा करता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी आवेदन-पत्रों की Alphabetically (A,B,C,...Z) समेकित सूची दो प्रति में बना लेंगे। एक अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा दूसरी प्रति एवं आवेदन-पत्र दिनांक 10-09-11 तक परिषद् कार्यालय में विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

NMMSS परीक्षा की अहर्त्ता रखने वाले आवेदक को NTSE के लिए अलग से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। NTSE हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वत: मानी जाएगी।

आधे-अधूरे आवेदन-पत्र अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र अथवा आवेदक द्वारा सीधे एस. सी. ई. आर. टी. महेन्द्रू, पटना को भेजा गया आवेदन पत्र बिना किसी पत्राचार के अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

विशेष जानकारी के लिए अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से केवल कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है

(हसन वारिस)
निदेशक (प्रभारी)
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्
बिहार, पटना-800006